116

विशेष न्यायालय (court fee stamps: COURT FEE — दस रुपये TEN RUPEES; COURT FEE — INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.   /2017

निग/सिंगरौली/भू०रा०/2017/2208

1. आलोक कुमार जायसवाल पुत्र श्री प्रताप जायसवाल,
2. अच्युत कुमार जायसवाल, पुत्र श्री प्रताप जायसवाल, दोनो निवासीगण– अनपरा जिला सोनभद्र, हाल निवासी– मुकाम ऐ.के. इंटप्राइजेज विध्यं नगर रोड बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) ---आवेदकगण

विरुद्ध

1. अनूप उर्फ अनुपम कुमार पुत्र श्री प्रताप जायसवाल,
2. अरुण कुमार पुत्र श्री प्रताप जायसवाल,
3. राजकुमार पुत्र श्री प्रताप जायसवाल, समस्त निवासीगण– अनपरा जिला सोनभद्र (उ.प्र.)

---अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1454/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 03/07/2017 के विरुद्ध म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदकगण सगे भाई है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त स्वत्व की विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियां भी है।

2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 702/1/ग रकबा 0.96 हे. के विभाजन हेतु संहिता की धारा 178 के अधीन आवेदकगण एवं अनावेदकगण क्रमांक 2 व 3 के सहमति दर्शाते हुये आवेदन किया गया । जबकि आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 3 की कोई सहमति नहीं थी।

(35)

III/R/सिंगरौली/प्र.21/17/2208

आलोक/अनुज

मूल दस्तावेज [illegible]

15-12-17 आवेदक ओर से श्री विनोद भारतीय

उप० अना० ओर से श्री डी.एस. चौहान ~~12-3-18~~ 18-1-18

उप० [illegible] भारती

सदस्य

पे० 18-1-18

18/1/18 आवेदक अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम द्वारा उपस्थित होकर निगरानी प्रकरण निरस्त किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

आवेदक अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज वापस किये जावे। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

निगरानी मेमो की मूल प्रति आवेदक को दी जावे। मेमो की छायाप्रति प्रकरण में रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस हो।

सदस्य

राकेश निगम 18/1/18